"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल 2012—चैत्र 21, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/18/2012/वाक/पांच (22).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उप-धारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 8 के उप-नियम (1-ए) के खण्ड (ब) में शब्द "प्ररूप सी" के पश्चात् शब्द "प्ररूप एफ" अंतःस्थापित किया जाय.

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ-10/18/2012/वाक/पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/18/2012/वाक/पांच (22), दिनांक 10-04-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th April 2012

NOTIFICATION

No. F-10/18/2012/CT/V (22).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

(1) In clause (b) of sub-rule (1-A) of Rule 8, after the words "Form C", the words "form F" shall be inserted.

2. This amendment shall come into effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.